

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एम एमएलए कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय को आम में ही निम्न जगह पर कि किसी एक कार्यालय में आम है। सम्बन्धित विषय पर यदि पूरे में यह आवश्यक हुआ हो तो यह सम्बन्धित एवं विभागाध्यक्ष लिखा जाये विषय संज्ञित है।



आम : कुलसचिव
 टेलीफोन : (0751) 2341096
 (0751) 2442829
 फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषण :
 कुलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय,
 ग्वालियर

क्रमांक: ए.फ.सम्बद्धता/2012/ 5915

दिनांक: 30/1/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के सम्बद्ध ए एकेडमी ऑफ नर्सिंग स्टार्टेज एण्ड होस्पिटल, ग्वालियर (0751-2437080) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बैचिक बी.एस-सी. (नर्सिंग), पाठ्यक्रम कक्षा पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधानों प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने शिक्षा विभाग अधिदेश 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) डॉ. ज्योति मोहिते, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।
- (3) डॉ. के.एस. लक्ष्मी, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, घरोहर सहाय, बांझित शैक्षणिक/अशैक्षणिक एवं संपन्न, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा गरीबर एवं पाठ्यक्रम/अडिजेन्स तथा निम्नलिखित सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति गण प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक डॉक्टर की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधानों प्रकृत करें।

स्वाधीन समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ.अ-2) पर लिखे गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।


गण के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निम्नानुसार अर्द्धण्ड जमा कराकर जड़ीय समिति जस्टिस की जावेगी। जिनमें 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में वर्तमान तारीख / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानवेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


 कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संबंध स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुरा भवन, भोपाल
4. कुलपति के अतिरिक्त / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


 सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)